संख्या-38/2022/1948 /77-6-2022-18(एम)/2017टीसी

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.प्रमुख सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2.आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2022**

विषय:-औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट एवं बंधक रखी गई बैंक गारण्टी को जब्त/अवमुक्त किए जाने के आ रही समस्याओं के निवारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांक-2680/स्टाम्प विविध-32/2022 दिनांक 27.07.2022 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से शासन के निर्गत कार्यवृत्त संख्या-1188/77-6-2022 दिनांक 26.05.2022 (प्रति संलग्न) के प्रथम प्रस्तर एवं तृतीय प्रस्तर के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में छूट हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 04.06.2013 एवं शासनादेश दिनांक 01.08.2022 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं तथा उक्त शासनादेशों के क्रम में औद्योगिक नीतियों तथा इससे इतर मामलों में स्टाम्प विभाग से सम्बन्धित आ रही समस्याओं के निवारण हेतु अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2022 को सम्पन्न बैठक में लिए निर्णयानुसार निर्गत कार्यवृत्त संख्या-1188/77-6-2022 दिनांक 26.05.2022 का प्रथम प्रस्तर संगत शासनादेशों के साथ प्रभावी होगा तथा तदनुसार ही कार्यवृत्त निर्गत होने के पूर्व के प्रकरणों पर भी नियमानुसार पुर्नविचार हेतु प्रभावी होगा।

3. उक्त कार्यवृत्त के प्रस्तर-3 में लिए निर्णय तथा संगत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानुसार '' ... जिन प्रकरणों में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लिखत पर संबंधित नीति के अधीन अन्तरण होने की पुष्टि करने के प्रयोजन से साक्षी के रूप हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, उन समस्त प्रकरणों की सूची संबंधित जिलाधिकारी/उपायुक्त उद्योग को प्रेषित कर उनके इस आशय की पुष्टि करा ली जाए कि इकाई को किस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट अनुमन्य की गई है, तदोपरान्त ही बैंक गारण्टी जब्त/अवमुक्त की कार्यवाही की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत स्टाम्प छूट से संबंधित प्रकरणों में संगत शासनादेशों तथा कार्यवृत्त दिनांक 26.05.2022 के निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
4. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. प्रबंध निदेशक, पिकप/उ0प्र0 वित्तीय निगम।
6. समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।
7. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

No-1940/77-6-2022

पंजीकृत

प्रेषक,

आयुक्त स्टाम्प
उ०प्र०, प्रयागराज।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

पत्रांक- 2680/स्टाम्प विविध- 32 /2022 दिनांक 27/07/2022

विषय- उ०प्र० औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के कार्यवृत्त दिनांक 26-05-2022 के निर्गत होने के पूर्व गत 01 वर्ष में, इकाई व प्रमाणीकरण संस्था के मध्य निष्पादित अनुबन्ध में प्रयोजन पूर्ति हेतु दी गई अवधि में प्रयोजन पूर्ति में असफल रहने के आधार पर जब्त की गई बैंक गारण्टियों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि गत 01 वर्ष में, इकाई व प्रमाणीकरण संस्था के मध्य निष्पादित अनुबन्ध में प्रयोजन पूर्ति हेतु दी गई अवधि में प्रयोजन पूर्ति में असफल रहने के आधार पर शासनादेश में विहित प्रावधानानुसार आठ इकाईयों द्वारा बंधक रखी गई बैंक गारण्टी को भुनाकर धनराशि को स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के लेखाशीर्षक में जमा कराने के आदेश निर्गत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है -

क्र0	इकाई का नाम	नीति में अवधि	अनुबन्ध पत्र में अवधि	जब्त करने का कारण	मा0नि0 महोदया का अनुमोदन दिनांक	पत्र निर्गत करने का दिनांक	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मे0 विनियर सॉ मिल हरदोई (उपायुक्त उद्योग द्वारा अवमुक्त करने की संस्तुति की गई है।)	05 वर्ष	दिनांक 02.03.2018 तक (निबन्धन 11.10.2017)	निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति नहीं। जब्त	12.01.2022	25.02.2022	पैसा जमा नहीं हुआ, शासन के अनुमति के बाद स्टाम्पवाद दर्ज (बैंक गारण्टी की अवधि दिनांक 25.09.2020 से 24.09.2021)
2.	मे0 सखी प्लाईवुड हरदोई (उपायुक्त उद्योग द्वारा अवमुक्त करने की संस्तुति की गई है।)	05 वर्ष	निबन्धन की तिथि 28.03.2019 से 02 वर्ष	निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति नहीं। जब्त	18.10.2021	30.11.2021	स्टाम्पवाद दर्ज, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मा0नि0 महोदया के आदेश दिनांक 18.10.2021 को निरस्त कर दिया गया है। (सूच्य है कि इकाई द्वारा निहित उद्देश्य से आच्छादित अनुमन्य सीमा से 1192 वर्गमीटर अधिक भूमि पर स्टाम्प शुल्क छूट ली है जो नियमानुसार देय नहीं है। प्रश्नगत बैंक गारण्टी में निहित धनराशि में उक्त अतिरिक्त भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के बराबर की राशि भी शामिल है, अतः यदि मा0 न्यायालय द्वारा मा0नि0 महोदया के बैंक गारण्टी जब्त करने के आदेश को निरस्त किया गया है तो इकाई द्वारा अतिरिक्त 1192 वर्गमी0 भूमि पर स्टाम्प शुल्क , जिस पर स्टाम्प शुल्क छूट देय नहीं है, स्वतः करापवंचन प्रकरण बन

							जाता है।) (बैंक गारण्टी की अवधि दिनांक 02.02.2019 से 31.01.2022)
3	मे0 ट्रॉपिकल एग्रो बुलन्दशहर (उपायुक्त उद्योग द्वारा अवमुक्त करने की संस्तुति की गई है।)	05 वर्ष	निबन्धन की तिथि से 07 माह के अन्दर	जब्त (निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति न होने के अतिरिक्त विलेख नीति से भिन्न है उक्त के अतिरिक्त समर्पण विलेख अप्राप्त)	02.02.2022	22.02. 2022	चालान सं0–0502 द्वारा रू0 5,02,000/– राजकोष में जमा किया गया है। (बैंक गारण्टी की अवधि दिनांक 17.11.2018 से 16. 12.2023)
4	मे0 राजा उद्योग, वाराणसी (उपायुक्त उद्योग द्वारा अवमुक्त करने की संस्तुति की गई है।)	05 वर्ष	निबन्धन की तिथि 22.08. 2019 से 09 माह के अन्दर	जब्त (निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति न होने के अतिरिक्त पूर्व आवंटियों को दी गई छूट की प्रतिपूर्ति न होने के कारण	02.02.2022	16.02. 2022	रू0 58,00,000/– राजकीय कोष में जमा कराया गया है। (बैंक गारण्टी की अवधि दिनांक 09.10.2019 से 17.07.2020)
5	मे0 ईजी डे फूड एण्ड बेवरेजेज वाराणसी (उपायुक्त उद्योग द्वारा अवमुक्त करने की संस्तुति की गई है।)	05 वर्ष	निष्पादन की तिथि 21.05. 2016 से 02 माह के अन्दर	निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति नहीं। जब्त	29.04.2022	23.05. 2022	दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि राजकीय कोष में पैसा जमा करा दिया गया है। (बैंक गारण्टी की अवधि दिनांक 08.05.2020 से 08.05.2021)
6	मे0 ट्वीनटेक इण्डिया बुलन्दशहर (उपायुक्त उद्योग द्वारा अवमुक्त करने की संस्तुति की गई है।)	05 वर्ष	निबन्धन की तिथि 17.02. 2018 से 10 माह	निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति नहीं। जब्त	02.02.2022	25.02. 2022	सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि। संबंधित बैंक को पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु बैंक द्वारा सम्प्रति कोई कार्यवाही किये जाने की सूचना नहीं है। (बैंक गारण्टी की अवधि दिनांक 19. 01.2018 से 19.01.2019)
7	मे0 अम्बा शक्ति बुलन्दशहर (उपायुक्त उद्योग द्वारा अवमुक्त करने की संस्तुति की गई है।)	05 वर्ष	निबन्धन की तिथि से 05 माह	निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति नहीं। जब्त। उक्त के अतिरिक्त समर्पण विलेख अप्राप्त	10.01.2022	17.01. 2022	सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित बैंक को पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु बैंक द्वारा सम्प्रति कोई कार्यवाही किये जाने की सूचना नहीं है।
8	मे0 वीटा डे बाराबंकी (उपायुक्त उद्योग द्वारा अवमुक्त करने की संस्तुति की गई है।)	05 वर्ष	आवंटन की तिथि 26.03. 2018 से 02 वर्ष	निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति नहीं। जब्त	07.01.2022	01.02. 2022	पैसा जमा, चालान सं0–9000 05 दिनांक 09. 03.2022 (रू0 27,30,000/–) (बैंक गारण्टी की अवधि दिनांक 29.08.2019 से 28.08.2022)

सूच्य है कि उक्त समस्त बैंक गारण्टियों को जब्त करने का आदेश, औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यवृत्त सं०-1188/77-6-2022 दिनांक 26-05-2022 के निर्गत होने के पूर्व, बैंक गारण्टी से संबंधित संगत शासनादेशों दिनांक 04-06-2013 के प्रस्तर-4(2)(घ) व 01-05-2018 के प्रस्तर-6(2)(घ) में यथाप्रवृत्त व्यवस्थानुसार दिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि कार्यवृत्त सं०-1188/77-6-2022 दिनांक 26-05-2022 के प्रथम प्रस्तर में यह प्रावधानित है कि - ".....किसी प्रारूप (प्रारूप-क, प्रारूप-ख अथवा विभाग में निबन्धित पट्टा विलेख) अथवा प्राधिकरा / उद्योग विभाग के आवंटन /हस्तान्तरण पत्र में दी गई अवधि के आधार पर बैंक गारण्टी जब्त न की जाए।.....", किन्तु उक्त कार्यवृत्त में यह प्रावधानित नहीं है कि कार्यवृत्त के जारी होने के पूर्व में यदि उपरोक्त आधार पर बैंक गारण्टी जब्त की गई हैं तो उस पर क्या पुनर्विचार किया जाना है अथवा नहीं।

इसी प्रकार कार्यवृत्त के तृतीय प्रस्तर में यह उल्लिखित है कि ".....जिन प्रकरणों में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लिखत पर संबंधित नीति के अधीन अन्तरण होने की पुष्टि करने के प्रयोजन से साक्षी के रूप हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, उन समस्त प्रकरणों की सूची संबंधित जिलाधिकारी / उपायुक्त उद्योग को प्रेषित कर उनसे इस आशय की पुष्टि करा ली जाए कि इकाई को किस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट अनुमन्य की गई है, तदोपरान्त ही बैंक गारण्टी जब्ती की कार्यवाही की जाए।....." तो क्या ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी /उपायुक्त उद्योग से पुष्टि कराये जाने के बाद भी मात्र जब्ती की कार्यवाही की जानी है, क्योंकि कार्यवृत्त के संगत प्रस्तर में 'जब्त' शब्द ही अंकित है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होना चाहें एवं कार्यवृत्त दिनांक 26-05-2022 के उपरोक्त बिन्दुओं पर अग्रतर कार्यवाही हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करना चाहें।

भवदीया,

Kanchan

(कंचन वर्मा)

आयुक्त स्टाम्प

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में, दिनांक 14.03.2022 को औद्योगिक नीति तथा इससे इतर मामलों के स्टाम्प विभाग से सम्बन्धित आ रही समस्याओं के निवारण हेतु सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त–

बैठक में उपस्थित(भौतिक):–

1. सुश्री सुजाता शर्मा, सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
2. डा0 मुथुकुमारसामी बी., विशेष सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
3. सुश्री रौशन जैकब, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. श्री ए0के0अवस्थीविशेष सचिव, स्टॉम्प एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. श्री अरविन्द प्रताप सिंह, अपर महानिरीक्षक, निबन्धन।
6. श्री रामानन्द सिंह, उपमहानिरीक्षक, निबन्धन।
7. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, ए0सी0ई0ओ0,यूपीडा।
8. श्री भरत सिन्हा,यू0पी0एल0सी0
9. श्री ओम प्रकाश पाठक, विशेष कार्याधिकारी,यूपीडा।
10. श्री डी0के0शर्मा, पिकप।
11. सुश्री संध्या यादव, सहायक निदेशक, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, मुख्यालय।
12. इन्वेस्ट यूपी के प्रतिनिधि।

(वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति)

13. श्रीमती रितु माहेश्वरी,सी0ई0ओ0, नोएडा।
14. श्री मयूरी माहेश्वरी,सी0ई0ओ0,यूपीसीडा।
15. श्री नरेन्द्र भूषण, सी0ई0ओ0, ग्रेटर नोयडा।
16. श्री अरूणवीर सिंह,सी0ई0ओ0,यीडा।

सर्वप्रथम महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा यह अवगत कराया गया कि औद्योगिक निवेश नीतियों के अन्तर्गत परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति किये जाने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष अवधारित की गयी है, किन्तु यह देखा जाता है कि प्रमाणीकरण संस्था एवं निवेशकर्ता इकाई के मध्य 5 वर्ष से न्यून अवधि अर्थात् एक वर्ष, दो वर्ष एवं 3 वर्ष प्रयोजन की पूर्ति हेतु करते हुये, अनुबन्ध पत्र एवं लीज डीड पंजीकृत कराये जाते हैं। इसी कम में प्रारूप–क (प्रति संलग्न), जो प्रमाणीकरण संस्था तथा इकाई के मध्य निष्पादित होता है, में भिन्न–भिन्न प्रयोजन पूर्ति की अवधि प्रदर्शित की जाती है और प्रदर्शित अवधि के लिए ही बैंक गारण्टी भी उपलब्ध करायी जाती है, परिणाम स्वरूप विभाग द्वारा उक्त अवधि के बाद, इकाई द्वारा प्रस्तुत बैंक गारण्टी विभाग द्वारा जब्त कर ली जाती है, से काफी विवाद बढ़ रहा है। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 एवं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 से आच्छादित कतिपय प्रकरणों में ऐसी समस्याएं प्रकट हुई हैं।

अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को स्पष्ट किया गया कि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के कम में विभिन्न विभागों

द्वारा सेक्टोरल नीतियां प्रख्यापित की गई है जिसके अन्तर्गत परियोजना की स्थापना/वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए विभिन्न समयावधियां निर्धारित की गई हैं। जैसे औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ही निवेश की राशि के अनुसार इकाईयों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए उनके वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए 3 से 7 वर्ष की अवधि का प्राविधान किया गया है। नीतियों के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी में अनुमन्य छूट की वापसी इसी अवधि के व्यतीत होने तथा उसके भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न होने पर ही नीति से सम्बन्धित विभाग द्वारा तद्विषयक पुष्टि किए जाने के उपरान्त ही की जा सकती है। बैंक गारंटी की जब्ती का प्राधिकरण के साथ हुई लीज डीड के अन्दर दी गई अवधि से कोई सरोकार नहीं है। लीज डीड के अन्तर्गत अनुमन्य अवधि प्राधिकरण के बाई लाज़ के अनुरूप नियत की जाती है जिसके समाप्त होने के उपरान्त इकाई द्वारा प्राधिकरण को समय वृद्वि शुल्क की देयता बनती है। लीज़ डीड के अन्तर्गत दी गई अवधि के समापन पर बैंक गारंटी जब्त नहीं की जा सकती। किसी प्रारूप (प्रारूप–क, प्रारूप–ख अथवा विभाग में निबन्धित पट्टा विलेख) अथवा प्राधिकरण/उद्योग विभाग के आवंटन/हस्तान्तरण पत्र में दी गयी अवधि के आधार पर बैंक गारण्टी जब्त न की जाए।

उक्त तथ्य को स्पष्ट करते हुए पिकप द्वारा बताया गया कि अमूमन इकाई को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाता है, जिसमें स्टाम्प शुल्क से छूट तथा कट ऑफ डेट से कितनी अवधि/औद्योगिक नीति में दी गयी अवधि में, जो पहले हो, के आधार पर अवधि निर्धारित की जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि नीति में नियत अधिकतम अवधि के पूर्व ही इकाई द्वारा स्वयं कम समय में उत्पादन में आने की तिथि निर्धारित की जाती है, ऐसे में भी बैंक गारण्टी, नीति में दी गयी अवधि समाप्त होने पर ही वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न होने जब्त की जा सकेगी।

द्वितीय– महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा यह भी संज्ञानित कराया गया कि आवंटी द्वारा प्रयोजन पूर्ति न किये जाने पर दूसरे आवंटी/संस्था को भूमि पट्टे पर बिना पूर्व पट्टा विलेख को सरेण्डर ऑफ लीज करा दी जा रही है, इससे उनके विभाग में भूमि/सम्पत्ति का पंजीयन जिसके नाम हैं, वह सम्पत्ति उसके नाम ही अंकित रहती है, ऐसी दशा में सम्पत्ति का विधिक परिवर्तन होने पर मूल संस्था से मूल लीज का सरेण्डर कर उसका पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद जिस कम्पनी/संस्था के नाम आवंटन/हस्तान्तरण हो, उसके लिए अवशेष अवधि के लिए पट्टा विलेख कराकर उसका पंजीयन कराना होगा। स्टाम्प एवं पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत यही प्राविधान दिये गये हैं। यह भी बताया गया कि उक्त कार्य के लिए मूल आवंटी को प्राधिरण अथवा उद्योग विभाग के साथ 100रुपये के स्टाम्प पेपर पर पट्टा सरेण्डर करना होगा और यदि मूल आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड पर कोई निर्माण या मशीनरी स्थापित की गयी है तो उसका अन्तरण पत्र द्वितीय आवंटी के पक्ष में कराना होगा।

इस सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में सभी प्राधिकरणों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि वांछित स्टाम्प शुल्क सरेंडर आफ लीज पर (वर्तमान में रू.100) अदा करते हुए सरेंडर विलेख के पंजीयन के उपरान्त ही नवीन पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराएं। जहॉ तक इस प्रकार के पूर्व प्रकरणों का प्रश्न है उनमें पूर्व के पट्टाधारकों से सरेंडर आफ लीज वांछित स्टॉम्प शुल्क(वर्तमान में रू.100) की अदायगी पर निष्पादित कराकर प्राधिकरण अपने अभिलेखों में संरक्षित करते हुए एक प्रति स्टॉम्प एवं निबंधन विभाग को उपलब्ध करा दें। इसका पंजीकरण कराने की कार्यवाही अब न की जाए। निबंधन विभाग इस विलेख को साक्ष्य में ग्रहण करते हुए तदनुसार कार्यवाही करेगा। इस त्रुटि के आधार पर बैंक गारंटी अवरूद्व न की जाए क्योंकि उसकी जब्ती, मात्र नीति में निर्धारित अवधि में उत्पादन प्रारम्भ न करने पर ही की जा सकती है किसी अन्य विसंगति के उत्पन्न होने पर नहीं।

तृतीय–महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि सभी औद्योगिक नीति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि "इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी अनुमन्य होगी यदि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण उक्त नीति के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है।" उक्त स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद, ऐसे मामलें ऐसे लम्बित हैं, जिनमें जिलाधिकारी अथवा उनकी ओर से सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है।

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि उक्त समस्त मामलों का विवरण/सूची संबंधित जिलाधिकारी/उपायुक्त उद्योगों को प्रेषित कर उनसे इस आशय की पुष्टि करा ली जाए कि इकाई को किस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्टॉम्प ड्यूटी से छूट अनुमन्य की गई है। तदुपरान्त ही बैंक गारंटी जब्ती की कार्यवाही की जाए।

चतुर्थ– औद्योगिक निवेश नीतियों के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट केवल अनुच्छेद–23 (विक्रय विलेख) एवं अनुच्छेद–35 (पट्टा विलेख) हेतु ही प्राविधानित की गयी हैं। ऐसी दशा में अनुसूची–1बी के अनुच्छेद–18(नीलामी) एवं अनुच्छेद–63 (लीज का अन्तरण) से छूट दिया जाना सम्भव नहीं है।

यह अपेक्षा की गई कि बैठक के कार्यवृत्त को महानिरीक्षक, निंबंधन के स्तर से भी समस्त अधीनस्थ को परिचालित करा दिया जाए जिससे भ्रम की स्थिति न रहे। यह भी अपेक्षा की गई कि कार्यवृत्त की प्रति सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की तरफ से समस्त जनपदों में तैनात उद्योग विभाग के अधिकारियों को तथा औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से समस्त प्राधिकरणों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित कर दी जाए।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–6
संख्या–।।88/77–6–2022
लखनऊः दिनांकः26मई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स/सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
3. समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण,उ0प्र0।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव।